न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 179A/2021

वादी :–

1) बुधाराम पुत्र ढोगाराम

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री बुधाराम स्वंय वादी।
2..श्री तहसीलदार पचपदरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 28/10/2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ...72... रकबा ...30-18... बीघा,

सरहद मौजा ...गोमडी... तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ...बदाराम... होने से राजस्व रेकर्ड में ...बदाराम पुत्र ढोगाराम... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम ...बुधाराम पुत्र ढोगाराम... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ...बदाराम... के स्थान पर ...बुधाराम पुत्र ढोगाराम... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:17 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......बदाराम...... के स्थान पर ......बुधाराम पुत्र छोगाराम...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......नायब तहसीलदार पचपदरा, तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ......72...... रकबा ......30-18...... बीघा, सरहद मौजा ......गोपड़ी......तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......बदाराम......दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~[illegible]~~ गोपड़ी एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......बदाराम......दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......बुधाराम पुत्र छोगाराम...... है ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की [illegible] की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत ~~खसरा~~ खाता नं ......72...... रकबा ......30-18...... बीघा, सरहद मौजा ......गोपड़ी...... ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......बदाराम ~~पुत्र छोगाराम~~...... पुत्र ......~~बुधाराम पुत्र~~ छोगाराम...... के स्थान पर ......बुधाराम...... पुत्र ......छोगाराम......खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......28/10/2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट......गोपड़ी...... में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:17 IST
Reason: SelfAttested

2021
479

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट......गोपड़ी.........

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1) बुधाराम पुत्र छोगाराम कौम भांबी , गोपड़ी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1) राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 179A/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ...बुधाराम........ पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....नरेश सोनी.............. पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को हुक्म आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खाता नं ....72........... रकबा ....30-18.............. बीघा, सरहद मौजा ......गोपड़ी...
....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....दुदाराम.........................पुत्र .....छोगाराम.....
...... के स्थान पर ......बुधाराम........ पुत्र .....छोगाराम.......खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। खर्चा बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28/10/2021.... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:17 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		